कार्यालय जिलाधिकारी,लखनऊ।

संख्या 1281 /वरि0सहा0(खनन)/अवैध खनन/नोटिस/19 दिनांक 4 सितम्बर, 2019

अवैध रूप से भण्डारित बालू एवं मौरंग के ढेरों की नीलामी

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वली स्टेट फेज–II दुर्गागंज, चौराहा के समीप काकोरी लखनऊ तथा तहसील मोहनलालगंज थाना गोसाईगंज के ग्राम फरीदपुर व अलियामऊ में कुल 03 ढेरों में मौरंग व बालू का अवैध रूप से भण्डारण किया गया है। उ0प्र0 खनिज(अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डाकरण का निवारण) नियमावली 2018 व शासनादेश संख्याः 2595/86–2016–12(सा0)/2018, दिनांकः 03.12.2018 के प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी लखनऊ के आदेश दिनांकः 03.09.2019 के द्वारा नीलामी किये जाने का निर्णय लिया गया है। नीलामी हेतु मौरंग व बालू का विवरण निम्नवत हैः–

क्र0 सं0	सीज बालू/मौरंग का ढेर संख्या	खनिज का नाम	खनिज की मात्रा	खनिज की रायल्टी रू0 प्रतिधनमी0	खनिज की रायल्टी	खनिमुख मूल्य रू0	नीलामी हेतु कुल आरक्षित मूल्य
1	2	3	4	5		6	7
01	ढेर संख्याः 01, वली स्टेट फेज–II दुर्गागंज, चौराहा के समीप काकोरी लखनऊ।	मौरंग	810घ0मी0	150 रू0	121500	729000	729000
02	ढेर संख्याः 02, तहसील मोहनलालगंज थाना गोसाईगंज के ग्राम अलियामऊ।	बालू	1400घ0मी0	55 रू0	77000	462000	462000
03	ढेर संख्याः 03, तहसील मोहनलालगंज थाना गोसाईगंज के ग्राम फरीदपुर ।	बालू	900घ0मी0	55 रू0	49500	297000	297000

उपरोक्त मौरंग एवं बालू की नीलामी दिनांकः 16.09.2019 समय 2.00 बजे अपराहन ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम आजाद कलेक्ट्रेट कक्ष संख्याः 36 मीटिंग हॉल में की जायेगी।

उक्त के सम्बंध में शर्ते

भण्डारणों की नीलामी निम्नलिखित शर्तो के अधीन की जानी हैः–

1–इच्छुक बोलीदाता नीलामी बोली मे भाग लेने से पूर्व उपरोक्त खनिज का स्वयं मौके पर जाकर स्थल निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन करेगा। इस संदर्भ में बाद में कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2–नीलामी में भाग लेने से पूर्व इच्छुक बोलीदाता को पीठासीन/नीलामी अधिकारी के पास रू0 25000/–अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा करना होगा। बोली की समाप्ति के उपरान्त सर्वोच्च बोलीदाता द्वारा अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा की गयी धनराशि को नीलामी की धनराशि में समायोजित कर लिया जायेगा तथा शेष बोलीदाता द्वारा जमा किये गये अर्नेस्ट मनी उन्हें तत्काल वापस कर दी जायेगी।

3–नीलामी बोली में भाग लेने से पूर्व बोलीदाता को अपना निवास प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र की प्रमाणित प्रति जमा करनी होगी।

4–अधिकतम बोलीदाता को 50 प्रतिशत धनराशि तत्काल जमा करनी होगी।

5–नीलामी बोली स्वीकार अथवा अस्वीकार किये जाने के सम्बंध में जिलाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

6–अधिकतम नीलामी बोलीदाता को जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा स्वीकृत किये जाने के पश्चात शेष 50 प्रतिशत धनराशि तत्काल जमा करनी होगी।

7–अंतिम रूप से चुने गये बोलीदाता को नीलामी स्वीकृत होने की तिथि से एक माह के अन्दर भण्डारित स्थल से खनिज को हटा लेना अनिवार्य होगा।
8–उक्त खनिज के परिवहन हेतु अन्तिम रूप से चुने गये सम्बंधित बोलीदाता को कार्यालय द्वारा प्रपत्र–सी0 निर्गत किया जायेगा। खनिज का परिवहन प्रपत्र–सी0 के माध्यम से किया जायेगा।
9–उपरोक्त के सम्बंध में कोई भी सूचना कार्यालय दिवस में खनन अनुभाग (कलेक्ट्रेट कक्ष संख्याः 37) कार्यालय जिलाधिकारी लखनऊ से प्राप्त की जा सकती है।

(कौशल राज शर्मा)
जिलाधिकारी, लखनऊ

संख्याः 1281 /वरि0सहा0(खनन)/19 तद्दिनांकः 4-9-019.

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
1–अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) लखनऊ को सूचनार्थ।
2–निदेशक सूचना निदेशालय उ0प्र0 को 12 प्रतियों के साथ इस अनुरोध से प्रेषित कि कृपया इस विज्ञप्ति को निःशुल्क प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
3–क्षेत्रीय अधिकारी खनिज भवन लखनऊ को सूचनर्थ।
4–जिला सूचना अधिकारी लखनऊ।
5–नाजिर सदर कलेक्ट्रेट लखनऊ को प्रचार–प्रसार हेतु सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।
6–थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक कैसरबाग लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी, लखनऊ